

आपूर्ति की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया

4.1. अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति करने की आवश्यकता :

अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति के अपने क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा आवेदन पर पूरा किए गए आवेदन और भुगतान की प्राप्ति के बाद एक मास के भीतर ऐसे परिसर में विद्युत की आपूर्ति करेगा :

परन्तु जहां ऐसी आपूर्ति वितरण स्रोत परिपत्र के विस्तार या नए उपकेन्द्रों को कमीशन करने की अपेक्षा करता है, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विस्तार या कमीशन करने के बाद तत्काल या ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि खण्ड 4.8 में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट है, ऐसे परिसर में विद्युत की आपूर्ति करेगा :

परन्तु यह भी कि ग्राम या उपग्राम या क्षेत्र, जिसमें विद्युत की आपूर्ति के लिए कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है, से आपूर्ति के लिए आवेदन के मामले में, आयोग मामलों के आधार पर समुचित ढंग से आपूर्ति करने के लिए समय अवधि में विस्तार करेगा :

परन्तु यह और कि पुराने उपभोक्ताओं/परिसरों में से किसी के सम्बन्ध में विद्युत बकायों के मामलों में, जहां स्वामित्व परिवर्तित हुआ है, नया संयोजन केवल अबकाया प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने के बाद नए स्वामियों को मुक्त किया जाएगा, जैसा कि खण्ड 4.3 (च) में उपबन्धित है : और परन्तु यदि परिसर पर विद्युत बकायों की किस्त है, तो नया संयोजन उस परिसर पर नये आवेदक/या पुराने उपभोक्ता से मुक्त नहीं किया जाएगा। संयोजन भी मुक्त नहीं किया जायेगा, यदि—

- (i) आवेदक (जो व्यक्ति है) व्यक्तिग्री उपभोक्ता का सहयोगी या सम्बन्धी है (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 और 6 में क्रमशः परिभाषित है),
- (ii) या जहां आवेदक, जो कम्पनी या निगमित निकाय या संगम या व्यक्तियों का निकाय है, चाहे निगमित हो या नहीं या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है, नियंत्रित किया जाता है या व्यक्तिग्री उपभोक्ता में नियंत्रण करने वाला हित धारण कर रहा है, यदि अनुज्ञप्तिधारी इस आधार पर विद्युत संयोजन से इन्कार नहीं करेगा, यदि उसके मामले को प्रस्तुत करने का अवसर आवेदक को प्रदान किया जाता है और सशर्त अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिकल्पित है।

4.2. वितरण प्रणाली को विस्तारित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता :

(क) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा कि उसके वितरण प्रणाली को आपूर्ति के उसके क्षेत्र में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए उच्चिकृत, विस्तारित और मजबूत किया जाता है। जहां कहीं विद्यमान परिवर्तन क्षमता को उसकी क्षमता के 80% तक भारित किया जाता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी ऐसी परिवर्तन क्षमता के संवर्धन के लिए योजना रिपोर्ट तैयार करेगा :

परन्तु यह कि नये मार्ग प्रकाश के लिए वितरण संरचना को निर्मित करने का दायित्व सम्बद्ध स्थानीय निकाय का होगा :

परन्तु यह भी कि आपूर्ति को उसके क्षेत्र में अविद्युतीकृत क्षेत्रों में भावा संयोजन के लिए, अनुज्ञप्तिधारी भावी उपभोक्ताओं की लगभग संख्या के साथ ऐसे अविद्युतीकृत कालोनियों/क्षेत्रों का विवरण आयोग को सूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी अनुज्ञप्तिधारी/विकासक/प्राधिकरण/प्राइवेट कालोनी निर्माता/सम्प्रवर्तक/स्थानीय निकाय या उपभोक्ताओं के किसी सामूहिक निकाय द्वारा ऐसे क्षेत्रों से विद्युतीकरण के लिए ब्यौरेवार योजना भी प्रस्तुत कर सकेगा। योजना आयोग को प्रस्तुत करने के पूर्व प्रत्येक वर्ष उच्चिकृत किया जा सकेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान उपभोक्ताओं के वर्धित मांग के पूरा करने के लिए प्रणाली के मजबूत बनाने/उच्चिकरण के लिए तथा मांग में भावी वृद्धि के वहन को पूरा करेगा। ऐसा व्यय आयोग द्वारा वित्तीय प्रज्ञापूर्ण जांच के अध्यक्षीन टैरिफ के माध्यम से अभियुक्त से वसूल किए जाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

4.3 नए संशोधन सामान्य :

- (क) आपूर्ति और वोल्टता की प्रणाली अध्याय 3 में दिए गए विवरण के अनुसार उपभोक्ता और भार के संवर्ग पर आधारित होगा;
- (ख) नये संयोजन को अभिप्राप्त करने के लिए और भार की वृद्धि/कमी के लिए आवेदन प्रारूप तथा अनुज्ञप्तिधारी के सभी कार्यालयों में निःशुल्क आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा अनुज्ञप्तिधारी उसे अपने वेबसाइट पर डाउन लोड करने के लिए भी रखेगा। सादे प्रारूप की फोटो प्रतियां आवेदक द्वारा निर्मित की जा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकार की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी पूर्व संदत मीटर के माध्यम से संयोजन के लिए दाखिल करने/प्रशंसकरण या मीटरों (सभी संवर्ग) के माध्यम से संयोजनों की मुक्ति करने के लिए आवेदनों के इलेक्ट्रॉनिक दाखिल करने को सुकर बनाने की प्रणाली पुरःस्थापित करने का प्रयास करेगा, यदि वाणिज्यिक रूप से वांछनीय हो और कायम रखने वाली प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;
- (ग) अनुज्ञप्तिधारी/स्थानीय प्राधिकरण नए संयोजन के लिए और नए संयोजन को प्रदान करने के ढंग द्वारा भार को मुक्त करने के लिए भार (भार के विभिन्न संवर्ग के लिए) की स्वीकृति के सम्बन्ध में आवेदनों को स्वीकार करने के लिए अधिकारिये/प्राधिकारियों को पदाभिहित करेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानीय प्राधिकरण समय-समय से

संयोजन को मुक्त करने के लिए अपनी प्रक्रिया विरचित कर सकेगा, जो यथासम्भव आयोग द्वारा अनुमोदित मार्ग-निर्देश/विनिर्देश/विनिर्दिष्ट व्यय के अनुरूप हो;

- (घ) नए संयोजनों को मुक्त करने के लिए प्रक्रिया, फीस पदाभिहित अधिकारियों से सम्बन्धित सभी सूचना उपखण्ड कार्यालय, खण्ड कार्यालय और उप-महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक के कार्यालयों/अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय की सूचना पट्टी पर प्रदर्शित किया जा सकेगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में कम्प्यूटरीकृत सुविधा के साथ उक्त कार्यालयों में नए प्ररूपों, दाखिल करने के लिए लोक सूचना काउन्टर और उक्त कार्यालयों में सूचना प्रास्थिति प्रसारित करने के लिए काउन्टर को एक वर्ष के समय सीमा के अन्तर्गत क्रियाशील बनाया जा सकेगा;
- (ङ) नये आवेदन के इलेक्ट्रॉनिक दाखिल करना, मुक्त किये जाने के लिए लम्बित संयोजन की प्रास्थिति और आई०वी०आर०एस० सुविधा के माध्यम से संयोजन की प्रास्थिति को खोजना इन्टरनेट वेबसाइट पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, केन्द्रीयकृत काल केन्द्रों और उपखण्ड/खण्ड/उप महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक कार्यालय के समुचित सम्पर्क के माध्यम से सभी नगरों में सक्रिय ढंग में भी सम्भव बनाया जा सकेगा;
- (च) (i) विक्रेता और क्रेता का विक्रय की तारीख पर विद्युत बकायों का पता लगाना कर्तव्य होगा और पुनः विक्रेता और क्रेता या तो संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से विद्युत बकाया का भुगतान करने/अबकाया प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए दायी होंगे :
- (ii) परिसर का विक्रय किये जाने के पूर्व बकाया को स्पष्ट किया जाएगा और विकल्प में करार/विक्रय विलेख का विनिर्दिष्ट रूप से बकाया और उसके भुगतान के ढंग का उल्लेख करेगा। बकाया से परिसर पर लम्बित सभी बकाया शामिल है, जिसमें विलम्ब भुगतान अधिभार भी शामिल है;
- (iii) यदि अबकाया प्रमाण-पत्र पुराने स्वामी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, तो नया स्वामी सम्पत्ति का क्रय करने के पूर्व उक्त परिसर में संयोजन का संदर्भ देकर अबकाया प्रमाण-पत्र के लिए अनुज्ञप्तिधारी से सम्पर्क कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी आवेदन की तारीख से 10 कार्य दिवस के भीतर परिसर पर लम्बित बकाया, यदि कोई हो, की सूचना देगा या अबकाया प्रमाण-पत्र जारी करेगा,
- (iv) बकाया कम्पनी की परिसम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगा और अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि इसे नये आवेदक के साथ करार में प्रस्तुत किया जाता है;
- (v) व्यतिक्रमी उपभोक्ता के विरुद्ध वसूली कार्यवाही और जहां व्यतिक्रमी उपभोक्ता कम्पनी है, कम्पनी के निदेशक से वसूली कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जहां वित्तीय संस्थान ने परिसम्पत्ति पर अनुज्ञप्तिधारी के प्रभार पर विचार किये बिना सम्पत्ति की नीलामी किया है, वहां दावा तत्पर अनुसरण में सम्बद्ध वित्तीय संस्थान में दाखिल किया जा सकेगा;
- (vi) यदि उक्त परिसर का विद्युत संयोजन मकान स्वामी की सम्पत्ति से दिया गया था, तो ऐसा व्यक्ति किरायेदार के परिसर को खाली करने के पूर्व किरायेदार द्वारा विद्युत के सभी किस्तों/बकायों के भुगतान को सुनिश्चित करेगा;
- (vii) लेकिन, उक्त शर्तें लागू नहीं होंगी, यदि किसी उच्चतर न्यायालय के आदेश या उसके परिणामस्वरूप आदेश के प्रावधान से असंगत हो;
- (viii) आवेदन की जांच बकायों के समाशोधन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी
- (छ) जहां सम्पत्ति विधितः उप-विभाजित की गयी है, वहां ऐसे परिसर पर उपभोग ऊर्जा के लिए बकाये का अनुपात के आधार पर विभाजन किया जायेगा;
- (ज) ऐसे उपविभाजित परिसर में नया संयोजन ऐसे उपविभाजित परिसर पर अधिरापित बकायो के अंश का आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से भुगतान किए जाने के बाद दिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी केवल इस आधार पर आवेदक को संयोजन से इन्कार नहीं करेगा कि ऐसे परिसर के अन्य भाग(गों) पर बकाये का भुगतान नहीं किया गया है और न ही अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आवेदकों के अन्य भाग(गों) के अन्तिम भुगतान किये गये बिल के अभिलेख की मांग करेगा।

4.4. आपूर्ति के लिए आवेदन की जांच :

(क) नए संयोजन के लिए आवेदन विहित प्ररूप (संलग्नक 4.1) ने और सभी सम्बन्धों में पूर्ण रूप से और जांच फीस के साथ विहित रजिस्ट्रीकरण के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय में दो प्रतियों में दाखिल किया जाएगा :

- (i) रजिस्ट्रीकृत विक्रय-विलेख या विभाजन विलेख या उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या अन्तिम वसीयत विलेख या अधिभोगी का सबूत जैसे विधिमान्य मुख्यतारनामा या नवीनतम कर संदत्त रसीद या विधिमान्य पट्टा-विलेख के प्ररूप में या संलग्नक 4.2 के अनुसार क्षतिपूर्ति प्ररूप में परिसर के स्वामित्व का सबूत। परिसर के स्वामित्व से सम्बन्धित मुकदमें के मामले में समुचित न्यायालय की आदेश प्रतिलिपिकों संलग्न किया जाना चाहिए,

- (ii) किसी विधि/परिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी का अनुमोदन/अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि अपेक्षित हो,
- (iii) भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारी विलेख,
- (iv) लिमिटेड कम्पनी के मामले में ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, निगमन का प्रमाण-पत्र और निदेशकों की सूची/प्रमाणित पता,
- (v) अनुज्ञप्ति विद्युत ठेकेदार द्वारा दिए गए विहित प्ररूप (संलग्नक 4.4) पर कार्य पूरा करने और परीक्षण प्रमाण-पत्र को बाद में दाखिल किया जा सकता है किन्तु आपूर्ति के प्रारम्भ के पूर्व,
- (vi) नई आपूर्ति संयोजन प्राप्त करने के लिए स्वामी की सम्मति (संलग्नक 4.3),

(ख) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्ररूप को पूरा करने में आवेदकों की सहायता करने का प्रबन्ध करेगा, यदि अपेक्षित हो।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन को सत्यापित करेगा और आवेदन की प्राप्ति के समय दस्तावेजों को संलग्न करेगा। लिखित अभिस्वीकृति स्थल पर जारी की जायेगी। अभिस्वीकृति प्रस्तावित निरीक्षण की तारीख को निर्दिष्ट करेगी (विद्युतीकृत क्षेत्रों में 10 दिनों और अविद्युतीकरण क्षेत्रों में दो सप्ताह के अपश्चात्) यदि आवेदन पूर्ण है, अन्यथा उसे कमियों का उल्लेख करना चाहिए, यदि आवेदन अपूर्ण है।

(घ) विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए नए संयोजन के लिए कोई आवेदन किन्हीं परिस्थितियों के अधीन नामंजूर नहीं किया जाएगा यदि वह कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और अधिनियम के अनुरूप है। यदि उपभोक्ता को आवेदन में किसी कमी के बारे में नियत अवधि के भीतर सूचना नहीं दी गयी है, तो यह माना जायेगा कि आवेदन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जांच के लिए स्वीकार किया गया है।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं होगा, यदि विलम्ब का कारण मार्ग के अधिकार, भूमि के अर्जन, तकनीकी साध्यता और प्रेषण क्षमता की कमी इत्यादि के कारण है, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का कोई युक्तियुक्त नियंत्रण नहीं है, यदि प्रत्यासित विलम्ब के लिए कारण की सूचना आवेदक को विद्युतीकरण के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दी गयी है।

(च) यदि आवेदन प्ररूप में दी गयी कोई सूचना गलत पायी जाती है या संस्थापन त्रुटिपूर्ण है या विद्युतीकरण अधिनियम/विद्युती नियमावली/टैरिफ आदेश के प्रावधान के उल्लंघन में होगा, तो अनुज्ञप्तिधारी भार को स्वीकार नहीं करेगा और आवेदक को यथासम्भव स्थल पर लिखित में कमियों/उसके कारणों की सूचना देगा।

4.5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण :

आवेदक अनुज्ञप्त ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के साथ निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी :

- (क) स्वयं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य पूरा करने के प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट के सम्बन्ध में समाधान करेगा;
- (ख) आवेदक से परामर्श करके आपूर्ति के बिन्दु और स्थल को नियत करेगा, जहां मीटर और एम०एस०बी० इत्यादि को नियत किया जाएगा;
- (ग) आपूर्ति के बिन्दु और नजदीकी वितरण स्रोत परिपत्र के बीच दूरी का प्रकलन करेगा, जहां से आपूर्ति प्रदान की जा सकती है;
- (घ) अवधारित करेगा, यदि आपूर्ति लाइन पर पक्षकार से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति की होकर जाएगी। ऐसे मामले में आवेदक पर पक्षकार से अनापत्ति अभिप्राप्त करेगा, जिसके अभाव में अनुज्ञप्तिधारी भिन्न मार्ग अंगीकार कर सकेगा, जिसके लिए आवेदक भिन्न व्यय को वहन करेगा;
- (ङ) आवेदन प्ररूप में वर्णित अन्य विशिष्टियों को सत्यापित करेगा, यदि अपेक्षित हो;
- (च) यदि अनुज्ञप्तिधारी का समाधान नहीं किया जाता, तो वह आवेदक को स्थल पर कमियों की सूचना देगा। आवेदक से कमियों को दूर किये जाने की अपेक्षा की जायेगी निरीक्षण पुनः किया जाएगा और फीस, जैसा कि विहित है, ऐसे पश्चात्वर्ती निरीक्षण के लिए प्रभारित की जा सकेगी।

4.6. प्राक्कलन :

(क) भार की स्वीकृति के बाद, प्राक्कलन तैयार किया जाएगा, जो आवेदक को स्वीकृति-पत्र की तारीख से तीन मास के लिए विधिमान्य बना रहेगा।

(ख) प्राक्कलन में प्रतिभूति निक्षेप, वितरण स्रोत परिपथ (यदि आवश्यक हो) सेवा लाइन और सामग्री को लगाने के लिए प्रभार और प्रणाली प्रभारित करने का प्रभार इत्यादि शामिल होगा, जैसा कि दो वर्षों में एक बार आयोग के अनुमोदन से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवधारित किया जाए।

(ग) आयोग के अनुमोदन के बाद, अनुज्ञप्तिधारी लागत सारणी पुस्तिका प्रकाशित करेगा और युक्तियुक्त कीमत पर किसी हितबद्ध पक्षकार को उसे उपलब्ध करायेगा और उसे अपने वेबसाइट पर भी रखेगा।

(घ) उक्त प्राक्कलन स्वीकृत/संविदात्मक भार के रु०/के० डब्ल्यू० (या रु०/के० वी० ए०) पर या संविदात्मक भार को, जिसके लिए आवेदन किया गया है विनिर्दिष्ट पट्टी के लिए प्रति सेवा प्रतिस्थापन रु० या 33 के० वी० वोल्टता तक प्रत्येक वोल्टता स्तर पर स्वीकृत भार पर आधारित होगा, जिस पर आपूर्ति की जानी है। 33 के० वी०/वोल्टता स्तर के परे स्थापित करने के लिए प्रभार अनुज्ञप्तिधारी पर वास्तविक प्राक्कलन पर आधारित किया जायेगा :

परन्तु स्वतन्त्र फीडर के लिए प्राक्कलन इस संहिता के खण्ड 3.4 में अधिकथित अपेक्षा के अनुसार होगा।

टिप्पण : आयोग ने कतिपय शर्तों के अध्वधीन संहिता में नये कनेक्शन की मुक्ति के लिए समय संरचना को विनिर्दिष्ट किया था। आयोग ने सम्परीक्षण किया है कि प्रारम्भिक कनेक्शन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये जाने वाले प्राक्कलों का अनिश्चित तत्व है—समय की अनिश्चितता तथा उसकी अनिश्चितता, जिसका भुगतान करना है, इसलिए आयोग अग्रिम में सामान्य प्राक्कलन प्रभार को जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, इस पुनरीक्षित संहिता के प्रवर्तन की तारीख से तीन मास के भीतर अधिसूचित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश देने के लिए बाध्य है, जिसमें असफल होने पर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे औपबन्धिक सामान्य प्रभार को प्रभारित करेगा, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ङ) यदि कार्य विकासक/आवेदक/विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, तो अनुज्ञप्तिधारी व्यय आंकड़ा पुस्तिका में यथा विनिर्दिष्ट के०वी०ए० या के० डब्ल्यू० आधार पर निकाले गये सामान्य प्राक्कलन के प्रतिशत के रूप में, जैसा कि नीचे दिया गया है, पर्यवेक्षण प्रभार को प्रभारित करेगा, जो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के पास निक्षेप किया जायेगा।

भार 50 के० डब्ल्यू० (56 के०वी०ए०) से 3,600 के०डब्ल्यू० (4,000 के०वी०ए०) तक-15% 3,600 के०डब्ल्यू० से अधिक 9,000 के० डब्ल्यू०(10,000 के०वी०ए०) तक-8%

9,000 के० डब्ल्यू० (10,000 के० वी०ए०) से अधिक-5%

अन्य मामलों में, अनुज्ञप्तिधारी आवेदक के प्राक्कलन की पूर्ण धनराशि का निक्षेप किए जाने के बाद कार्य प्रारम्भ करेगा। जब तक सामान्य व्यय प्राक्कलन प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक पर्यवेक्षण प्रभार प्राक्कलित सामग्री व्यय पर उक्त निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में उद्गृहीत किया जाएगा और इसमें प्राक्कलित श्रम खर्च/सामग्री के हस्तचालन का खर्च और भण्डारण/तालिका भी शामिल होगी और प्रणाली भार प्रभार तथा संस्थापन व्यय को शामिल नहीं करेगी।

(च) प्राक्कलन से सम्बन्धित विवाद को उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जो स्वीकृति प्राधिकारी के एक स्तर उच्चतर है और यदि आवेदक अब भी व्यथित है, तो वह न्याय निर्णयन के लिए उपभोक्ता प्रतितोष निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकेगा।

(छ) अन्तिम बिल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य के पूरा होने के बाद तैयार किया जायेगा :

- यदि अन्तिम बिल प्राक्कलन के मूल्य से अधिक है, तो अन्तर का निक्षेप आवेदक द्वारा संयोजन को विद्युत प्रदान करने के बाद किया जायेगा,
- यदि यह कम है, तो अन्तर पश्चात्पूर्ति विद्युत बिल में समायोजित किया जाएगा या 60 दिनों के भीतर चेक द्वारा वापस किया जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रभार के पुनरीक्षण के मामले में, यदि प्राक्कलन पुनरीक्षण की तारीख के पूर्व स्वीकृति किया गया था, तो आधिक्य में प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रभार के आधार पर कार्य के संकलन पर प्रभारित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कार्य उससे कम प्राक्कलन पर पूरा किया जाता है, जो पुनरीक्षित प्रभार में तैयार किए गए प्राक्कलन से कम है, तो अपुनरीक्षित प्रभार के आधार पर आवेदक द्वारा निक्षेप किया गया आधिक्य धनराशि साठ दिनों के भीतर वापस किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि यदि अनुज्ञप्तिधारी ने व्यय आंकड़ा पुस्तिका में अद्यतन सामान्य प्रभार को प्रकाशित किया है और उसे प्राक्कलन को तैयार करने में शामिल किया है, तो अन्तिम बिल और उक्त परन्तु आवश्यक नहीं होगा।

(ज) व्यय प्राक्कलन में उपभोक्ता का अंश—

- (i) भारत के वृद्धि की वांछा करने वाले नये उपभोक्ता/उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रणाली के विस्तार और उच्चीकरण के व्यय को उनसे प्रणाली भार प्रभार से वसूल किया माना जायेगा जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित है,
- (ii) उन क्षेत्रों में जहां वितरण स्रोत परिपथ विद्यमान नहीं है, नये वितरण स्रोत परिपथ के संस्थापन के लिए व्यय सामान्यतः राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या उपभोक्ताओं या उपभोक्ता के किसी सामूहिक निकाय से स्वीकृति द्वारा वसूल किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी सभी व्यय को पूरा करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध अतिशेष से नये वितरण स्रोत परिपथ को भी संस्थापित करेगा,
- (iii) सभी मामलों में आवेदक वितरण स्रोत परिपथ से आपूर्ति बिन्दु तक सेवा लाइन के विस्तार के व्यय का वहन करेगा।

4.7. संयोजन की मुक्ति, जहां वितरण स्रोत परिपथ का विस्तार या उपकेन्द्र/बढ़ती हुयी क्षमता आदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती :

(क) अनुज्ञप्तिधारी स्थल निरीक्षण, अधिकतम 10 कार्य दिवसों में आवेदक द्वारा निक्षेप किये जाने के लिए आवश्यक प्रभार की सूचना देगा।

(ख) आवेदक मांग-पत्र की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर प्रभार का निक्षेप करेगा और मार्ग के अधिकार की अनुमति प्रस्तुत करेगा, यदि आपूर्ति लाइन आवेदक से न सम्बन्धित सम्पत्ति पर से गुजरती है।

(ग) उपभोक्ता के अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी 7 दिनों के बाद भुगतान की तारीख का विस्तार कर सकेगा किन्तु इस विस्तारित समय की गणना अधिनियम की धारा 43 के अधीन संयोजन में विलम्ब के लिए नहीं की जाएगी और किसी प्रतिकर का भुगतान उक्त अवधि के दौरान नहीं किया जाएगा।

(घ) आवेदक आपूर्ति के बिन्दु पर बोर्ड प्रदान करेगा, जहां मीटर और एम०सी०बी० संस्थापित किया जाएगा।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी औपचारिकताओं को पूरा करने पर, जैसा कि उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट है, उस तारीख की सूचना देगा, जब मीटर संस्थापित किया जायेगा। मीटर, एम०सी०बी० इत्यादि को नियत तारीख पर आवेदक की उपस्थिति में लगाया जाएगा और सील किया जाएगा और संयोजन को उसके तत्काल बाद विद्युत प्रदान की जाएगी।

(च) आपूर्ति आवेदक को प्रभार का निक्षेप करने के बाद 7 कार्य दिवस के भीतर की जायेगी, यदि नये खम्भे या भूमिगत केबल को बिछाये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती।

(छ) (i) आवेदक स्वयं इस संहिता के खण्ड 5.4 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत अनुमोदित बनावट और विनिर्देश का मीटर और एम०सी०बी० खरीद सकेगा।

(ii) आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के पास परीक्षण प्रभार के साथ मीटर और एम०सी०बी० को निक्षेप करेगा। मीटर की शुद्धता का परीक्षण करने और उसको सुनिश्चित करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी मीटर और एम०सी०बी० लगाएगा।

4.8. नया संयोजन, जहां वितरण स्रोत परिपथ के विस्तार या नये उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता की अभिवृद्धि की आदेश देने की अपेक्षा की जाती है :

(क) खण्ड 4.4 के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार विलि प्ररूप में आवेदन दस्तावेजों के साथ अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में दाखिल किया जाएगा सिवाए इसके कि कार्य पूरा करने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जा सकेगा, यदि तार लगाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी है। आवेदक आवेदन में समय सारणी को निर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें भार को मुक्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है। आवेदक फेजयुक्त संविदात्मक मांग के मामले में भार की मुक्ति के लिए फेज सारणी भी प्रस्तुत करेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को—

- (i) एल०टी० पर आपूर्ति के लिए अनुरोध के 15 दिनों,
- (ii) एच०टी० पर आपूर्ति के लिए अनुरोध के 30 दिनों,
- (iii) ई०एच०टी० पर आपूर्ति के लिए अनुरोध के लिए 60 दिनों के भीतर संसूचना देगा
 - (i) आपूर्ति तकनीकी रूप से साध्य है अथवा नहीं,
 - (ii) कार्यों के लिए वित्तीय प्राक्कलन यदि साध्य हो, भार की स्वीकृति और स्थल के निरीक्षण के बाद,
 - (iii) इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्राक्कलित समय, स्थल निरीक्षण और भार स्वीकृति के बाद,
 - (iv) स्थल निरीक्षण की तारीख कम से कम अग्रिम में 7 दिन, जब आवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि से उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।
 - (v) प्रतिभूति निक्षेप और अन्य लागू प्रभार,
 - (vi) बिन्दु, जहां मीटर स्थापित किया जाना है,
 - (vii) सिविल/अन्य कार्य, जिसे मीटर लघुकक्ष और अन्य विद्युत उपकरण के लगाने के लिए आवेदक द्वारा पूरा किया जाना है।

(ग) प्राक्कलन की 90 दिनों की विधिमान्यता अवधि के अन्तर्गत, आवेदक से प्राक्कलित धनराशि को निक्षेप करने की अपेक्षा की जाएगी।

- (घ) (i) स्वीकृति के भार के स्थल में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी,
- (ii) उसी टैरिफ अनुसूची के भीतर विद्युत के प्रयोग के प्रयोजन में परिवर्तन की अनुमति दी जायेगी।
- (iii) यदि आवेदक करार पर हस्ताक्षर करने के पूर्व स्वीकृत भार की अपेक्षा कम भार के लिए विकल्प देता है, तो उसके लिए करार तदनुसार निष्पादित किया जाएगा और समर्पण किए गए भार की स्वीकृति समयहृत की जायेगी।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी तत्परता से प्राक्कलित प्रभार के निक्षेप की तारीख स—

- (i) 400 वी० से संयोजित किए जाने वाले भार के लिए 45 दिनों,
- (ii) 11 के०वी० पर संयोजित किए जाने वाले भार के लिए 60 दिनों,
- (iii) 33 के०वी० पर संयोजित किए जाने के लिए 120 दिनों,
- (iv) 132 के०वी० पर संयोजित किए जाने के लिए भार के लिए 300 दिनों के भीतर कार्य को निष्पादित करेगा :

परन्तु वितरण प्रणाली के संवर्धन की अपेक्षा करने वाले संयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को अधिकतम समय संरचना की सूचना देगा, जिसके लिए स्वीकृति निम्नरूप में दी जा सकती है—

- जहां लाइन का विस्तार या वितरण ट्रांसफार्मर के संवर्धन की अपेक्षा की जाती है-60 दिनों,
- जहां नया वितरण ट्रांसफार्मर की अपेक्षा की जाती है-120 दिनों, और
- जहां विद्यमान 11 के०वी० नेटवर्क को मजबूत किया जाना आवश्यक है या विद्यमान 66/33 के०वी० उपकेन्द्र में संवर्धन किए जाने की आवश्यकता है-180 दिनों

परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी अविद्युतीकृत क्षेत्रों में विद्युतीकरण करेगा और नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार उसमें नये संयोजन कोलिप्त करेगा :

- (i) जहां नये विद्यमान कार्य से संवर्धन सम्भव है-180 दिन
- (ii) जहां नये कार्य की या ग्रिड को बिछाये जाने की आवश्यकता है-1 वर्ष
- (iii) पृथक् उपभोक्ता के मामले में-180 दिन।

(च) आवेदक को अनुज्ञप्तिधारी के पर्यवेक्षण के अधीन एल०ई०सी० के माध्यम से स्वयं इन कार्यों को निष्पादित करने का विकल्प होगा, जिसके लिए पर्यवेक्षण प्रभार, जैसाकि खण्ड 4.6 (घ) में विनिर्दिष्ट है, अनुज्ञप्तिधारी को संदेय होगा।

(छ) आवेदक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित कार्य के पूरा होने की अनुसूचित तारीख के अधिमानतः दो सप्ताह पूर्व विद्युत निरीक्षक द्वारा नियमावली के अनुसार, जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन निर्मित है और जब तक ऐसी नियमावली निर्मित नहीं की जाती, अपने स्थल का निरीक्षण कराने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि अपेक्षित है, और अनुज्ञप्तिधारी को निरीक्षण रिपोर्ट पेश करेगा। अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर एच०टी० या ई०एच०टी० आवेदक उपकरणों के विनिर्माताओं के परीक्षण परिणाम प्रस्तुत करेंगे :-

परन्तु विद्युत निरीक्षक से परीक्षण परिणाम/अनापत्ति प्रमाण-पत्र/कार्य पूरा करने के प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत न करने के कारण कोई विलम्ब आवेदक के मद में अधिरोप्य होगा।

(ज) आवेदक द्वारा कार्य पूरा करने के प्रमाण-पत्र परीक्षण परिणाम, प्रतिभूति के प्रस्तुत करने के समाधानप्रद सत्यापन पर और कार्य से सम्बन्धित वितरण प्रणाली के पूरा होने पर, अनुज्ञप्तिधारी उस तारीख को (7 दिनों से अपश्चात्) सूचित करेगा, जब संयोजन में ऊर्जा प्रदान की जाएगी। आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि मीटर को सील करने के समय और संयोजन को ऊर्जा प्रदान करने के समय उपस्थित रहेगा।

4.9. बहुमंजिला भवन/मल्टीप्लेक्स//वैवाहिक हाल/विकास प्राधिकरणों और/या प्राइवेट निर्माताओं/सम्प्रवर्तकों/कालोनी निर्माण करने वाले/संस्थानों/व्यक्तिगत आवेदकों (अनुज्ञप्ति विद्युत निरीक्षकों/द्वारा अनुमोदित) द्वारा विकसित कियेजाने वाली कालोनियों में विद्युत संयोजन :

(क) एकल बिन्दु पर मीटर लगाने के साथ आपूर्ति के एकल बिन्दु पर विद्युत संयोजन नये घरेलू/गैर घरेलू बहुमंजिली भवनों/मल्टी प्लेक्स/वैवाहिक गृहों/सहकारी सामूहिक आवास समितियों/कालोनियों को 25 के० डब्ल्यू० से अधिक भार के साथ प्रदान किया जायेगा। लेकिन, यह व्यक्तिगत संयोजन के लिए लागू करने से व्यक्तिगत स्वामी को निर्बन्धित नहीं करेगा और अनुज्ञप्तिधारी एल० टी० पर ऐसे आवेदक को संयोजन की स्वीकृति करेगा।

(ख) भार की संगणना सलंगनक 4.6 में दिये गये सन्नियमों के अनुसार सन्निर्मित क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा, परन्तु एकल बिन्दु आपूर्ति की आवेदक आवेदन में या तो (i) आच्छादित क्षेत्र संगणना प्रक्रिया के लिए, या (ii) अनुज्ञप्तिधारी के समाधान में वास्तविक अपेक्षा के अनुसार विकल्प दे सकेगा।

(ग) आवेदक/विकासक/विकास प्राधिकरण उत्तरदायी होगा :

- (i) अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र (220/132/33 के० वी० या 33/ 11 के० वी० या 11/0.4 के० वी०) से व्यक्तिगत स्वामी के परिसर में उसके व्यय पर या अनुज्ञप्तिधारी से व्यय सारणी पुस्तिका के अनुसार नियत धनराशि जमा

करके बाह्य संयोजन तक वितरण नेटवर्क के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण अधिसंरचना का विकास करने, सन्निर्माण करने के लिए,

- (ii) थोक आपूर्ति मीटर/उपमीटर और/या व्यक्तिगत मीटर को सील करने के साथ सुरक्षित आवास के लिए प्रबन्ध करने और काम्प्लेक्स/कालोनी में प्रत्येक व्यक्तिगत परिसर में खाइयों/नालियों में भूमिगत/सिरोपरि आन्तरिक केबल बिछाने के लिए,
- (iii) समुचित सीमा के भीतर चहारदीवारी में प्रवेश के नजदीक अधिमानतः अनुज्ञप्तिधारी के मीटर के आवास के लिए समुचित आकार और उचित वातायुक्त मीटर के कक्ष के सन्निर्माण के लिए और काम्प्लेक्स में प्रवेश किये बिना बाहर से पहुंच योग्य होना चाहिए,
- (iv) एच० वी० डी० एस० का प्रयोग करने के लिए, जहां कहीं लागू हो और व्यक्तिगत स्वामियों के प्रयोग के लिए पूर्व संदत्त बिल देने की प्रणाली को पुरःस्थापित करने के लिए। अनुज्ञप्तिधारी आवेदक, विकास/विकास प्राधिकरण को आवश्यक मार्ग-निर्देश प्रदान कर सकता है।

(घ) 25 के० डब्ल्यू० से अधिक भार के लिए, विकास प्राधिकरण/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता/संस्था—

- ऊपर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के पदाभिहित अधिकारी को जांच प्रभार के साथ यदि कोई हो, विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा,
- सम्पूर्ण भवन/कालोनी के सन्निर्मित क्षेत्र को सम्यक् रूप से दर्शित करते हुए भवन के कालोनी की नक्शा/योजना की प्रतिलिपि पेश करेगा, जो सम्बद्ध विकास प्राधिकरण/महापालिका/नगरपालिका/ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित हो या रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद द्वारा प्रमाणित हो और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित हो,
- समुचित प्राधिकारी/सरकारी निकायों/रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद द्वारा अनुमोदन को प्रस्तुत न करने के मामले में आपूर्ति सशर्त पूर्ण उत्तरदायित्व को ग्रहण करते हुए आवेदन से वचन की प्राप्ति पर दिया जायेगा कि गिराने या ऐसे प्राधिकारी के आक्षेप की स्थिति में, आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थायी रूप से वियोजित की जायेगी,
- समय सारणी को निर्दिष्ट करेगा, जिसमें भार को मुक्त किये जाने की अपेक्षा की जाती है और भार की आंशिक मुक्ति के लिए फेज अनुसूची निर्दिष्ट करेगा,
- यदि एकल बिन्दु आपूर्ति विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता, तो समाधानप्रद ढंग से कार्य के पूरा होने तक नक्शा में तैयार किये गये लाइनों और ट्रान्सफार्मर को कायम रखने के लिए सम्मति की अभिपुष्टि करते हुए करार को प्रस्तुत करेगा,
- वचन प्रस्तुत करेगा कि समाधानप्रद ढंग से केवल कार्य को पूरा करने के बाद सम्पूर्ण वितरण प्रणाली किसी प्रभार के किसी भुगतान या प्रतिदाय का दावा किये बिना वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ट्रान्सफार्मर(रों) के साथ सौंपेगा,
- विहित प्रक्रिया का पालन करेगा, अदेय प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट और आयोग द्वारा अनुमोदित लागू प्रभार को प्रस्तुत करेगा।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक 4.6 और उक्त खण्डों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भार को स्वीकृत करेगा।

(च) विकास प्राधिकरण/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता स्वीकृत भार या स्वीकृत भार के भाग के आधार पर (कालोनी या नगर के लिए फेज प्रक्रम में भार की मुक्ति के लिए अनुरोध के मामले में वितरण प्रणाली के खर्च) जिसमें ट्रान्सफार्मर और/या उपकेन्द्र के व्यय को शामिल करके, जहां कहीं अपेक्षित हो) को निम्नलिखित ढंग में वहन करेगा :

- **50 के० वी० 56 के० वी० ए० तक भार-**
एल० टी० विधिमान स्रोत परिपत्र को मजबूत किया जायेगा।
- **50 के० डब्ल्यू० से अधिक तथा 3,600 के० डब्ल्यू० (4,000 के० वी० ए०) तक-**
11 के० वी० विद्यमान फीडरों को विस्तारित किया जायेगा, यदि मात्र क्षमता उपलब्ध हो, अन्यथा 11 के० वी० फीडर का सन्निर्माण लगभग 33 के० वी० या 132 के० वी० उपकेन्द्र से किया जायेगा। (यदि 11 के० वी० वोल्टता 33 के० वी० या 132 के० वी० उपकेन्द्र पर उपलब्ध है)
- **3,600 के० डब्ल्यू० से अधिक 9,000 के० डब्ल्यू० तक (10,000 के० वी० ए०)-**
132 के० वी० उपकेन्द्र के 33 के० वी० फीडर।
- **9,000 के० डब्ल्यू० (10,000 के० वी० ए०) से अधिक-**
नजदीकी 132 के० वी० या 220 के० वी० उपकेन्द्र से 132 के० वी० फीडर।

(टिप्पण : नजदीकी 220 के० वी० उपकेन्द्र से 220 के० वी० फीडर, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक समझा गया था, विकास करने वालों/कालोनी निर्माताओं को भी उनके अनुरोध पर अनुज्ञेय होगा। 132 के० वी० और उक्त के लिए सम्प्रेषण अनुज्ञप्तिधारी से समाशोधन प्राप्त किया जायेगा, जहाँ वाही आवश्यक हो।)

परन्तु उक्त सीमा केवल निर्देशक हैं और

- (i) स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति के लिए प्रावधान खण्ड 3.4 के अनुसार होगा,
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी अपने उपमहाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबन्धक/या प्रबन्ध निर्देशक के सम्यक् अनुमोदन के बाद, जो वोल्टता स्तर पर आधारित है, खण्ड 4.2 (क) के प्रावधानों को ध्यान में रखकर समीचीन ढंग से अधिसंरचना का प्रबन्ध करने के लिए व्यक्तिगत मामलों में आपूर्ति को भिन्न ढंग से विनिश्चय कर सकेगा।

(छ) प्राधिकारी/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता केवल उक्त कार्य के प्राक्कलित व्यय के लिए भुगतान करेगा। सेवा संयोजन प्रभार, प्रणाली प्रभारित करने के प्रभार, मीटर खर्च, सुरक्षा प्रभार इत्यादि के व्यक्तिगत रूप से आवेदक निवासियों द्वारा व्यक्तिगत विद्युत संयोजन के लिए आवेदन करने के समय वहन किया जायेगा :

परन्तु यदि प्राधिकारी/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता अनुज्ञप्तिधारी को एकल स्थल आपूर्ति के लिए बहुमंजिला काम्पलेक्स/कालोनी में फ्लैट के व्यक्तिगत स्वामियों को आपूर्ति के लिए आवेदन करता है, तो उक्त (छ) में यथाविनिर्दिष्ट सभी व्यय/प्रभार उसके द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ज) आधिक्य भार के कारण प्रभार का उद्ग्रहण, जहां एकल बिन्दु आपूर्ति विद्यमान है, खण्ड 6.9 (क) के अनुसार होगा और भार या फ्लैट के व्यक्तिगत स्वामियों के प्रयोजन के लिए कोई जांच आवश्यक नहीं होगी।

(झ) प्राधिकारी/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता के 0 डब्ल्यू०/के० वी० ए० आधार पर भवन/कालोनी के सन्निर्माण के लिए अस्थायी संयोजन के लिए आवेदन करने के समय व्यय आंकड़ा पुस्तिका के अनुसार विहित प्रभार का निक्षेप करेगा। अस्थायी संयोजन के लिए भार की मुक्ति की मांग की जायेगी और भार अपेक्षित कुल भार के 15% के अधिकतम के अध्यक्षीन अपेक्षा के अनुसार होगा।

(ञ) अनुज्ञप्तिधारी 100% प्राक्कलित व्यय की प्राप्ति के बाद फीडर के सन्निर्माण का कार्य प्रारम्भ करेगा। लेकिन, यदि प्राधिकारी/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता लाईन इत्यादि का सन्निर्माण करने की वांछा करता है, तो वह खण्ड 4.6 (ड) में विनिर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्रभार को अनुज्ञप्तिधारी के पास निक्षिप्त करने के बाद ऐसा कर सकता है।

4.10 अस्थायी आपूर्ति के लिए आवेदन

(क) अनुज्ञप्तिधारी भवन सन्निर्माण के लिए दो वर्ष और अस्थायी प्रकृति के अन्य प्रयोजनों के लिए 3 मास (गन्ना पेरने/ अन्य मौसमी कार्यों के लिए 6 मास तक) से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी आपूर्ति प्रदान कर सकेगा, यदि अन्यथा टैरिफ आदेश में प्रावधान न किया गया हो।

(ख) अस्थायी आपूर्ति के लिए आवेदन उस तारीख के, जहां आपूर्ति की अपेक्षा की जाती है, कम से कम 15 दिन पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से स्थानीय कार्यालय में संलग्नक 4.5 में विहित प्ररूप में दिया जायेगा, जहां कोई नया खम्भा या स्रोत परिपत्र विस्तार की अपेक्षा नहीं की जाती और 30 दिनों के पूर्व वहां दिया जायेगा, जहां अतिरिक्त खम्भा(यों) या स्रोत परिपत्र विस्तार की अपेक्षा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ की जाती है :

- (i) स्थानीय प्राधिकरण/परिसर के स्वामी से सुरक्षा और प्रतिभूति को सुनिश्चित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र, यदि आपूर्ति की अपेक्षा स्थानीय प्राधिकरण/परिसर के स्वामी के स्वामित्वाधीन में की जाती है,
- (ii) स्वामित्व का सबूत, यदि आवेदक परिसर के लिए अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता नहीं है, जहां अस्थायी संयोजन दिया जाना है या अन्य मामलों में अनुज्ञप्तिधारी के नवीनतम संदत्त बिल की प्रतिलिपि की जाती है।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी तकनीकी साध्यता की परीक्षा करेगा और यदि साध्य हो, तो आवेदक को आवेदन की प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर सेवा लइन और अन्य प्रभारों के खर्च का प्राक्कलन भेजेगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी उस अवधि के लिए विद्युत उपभोग के लिए प्रभार की भी सूचना देगा, जिसके लिए आपूर्ति का अनुरोध समय-समय से आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार किया जाता है।

(ङ) प्राक्कलित व्यय और विद्युत के लिए अग्रिम प्रभार के निक्षेप के बाद, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है और भार 50 के० डब्ल्यू० तक भार के लिए 3 दिनों के भीतर और 50 के० डब्ल्यू० से अधिक (समुचित मीटर के साथ) के लिए 21 दिनों के भीतर कर मुक्त किया जायेगा। लेकिन, भार उन मामलों में जहां या अधिक लोगों से एक स्थान पर समूह में एकत्रित होने की प्रत्याशा की जाती है, लिखित में अनुमोदन की प्राप्ति के बाद ही मुक्त किया जायेगा।

(च) अस्थायी आपूर्ति को प्राप्त करने की तारीख प्राधिकारी के समक्ष, जिसने भार की स्वीकृति दिया था, आदेश में निर्दिष्ट प्रारम्भ तारीख के कम से कम 3 दिनों पूर्व आवेदन करके आवेदक/उपभोक्ता द्वारा मूल स्वीकृति में तारीख के 90 दिनों के अपश्चात् तारीख को संशोधित कराया जा सकेगा।

(छ) यदि कोई परमिट/अनुज्ञप्ति अनापत्ति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयोजन में विद्युत प्रदान किये जाने के बाद वापस लिया जाता है, तो आपूर्ति तत्काल वियोजित की जायेगी और केवल परमिट/अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्यावर्तित किये जाने के बाद पुनः संयोजित की जायेगी। पुनः अनुज्ञप्तिधारी किसी क्षति के लिए दायी नहीं होगा। किसी प्रभार की कटौती या कमी इस कारण अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ज) अस्थायी आपूर्ति की अवधि के पुनः विस्तार के लिए, उपभोक्ता/आवेदक अस्थायी आपूर्ति के अवसान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति करेगा। अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 4.10 (क) के प्रावधानों के अध्यक्षीन विस्तार प्रदान कर सकेगा और विस्तार की अवधि के लिए विद्युत का अग्रिम प्रभार उपभोक्ता/आवेदक द्वारा निक्षेप किया जा सकेगा।

(झ) स्थायी सेवा के सम्पूरिवर्तन पर उपभोक्ता द्वारा, यदि कोई हो, निक्षेप प्रतिभूति धनराशि स्थायी संयोजन के लिए अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप में समायोजित की जायेगी :

परन्तु कालोनियों/बहुमंजिली काम्पलेक्सों इत्यादि में भवन के सन्निर्माण के मामले में अस्थायी आपूर्ति की अवधि का विस्तार अनुज्ञप्तिधारी के विवेकाधिकार पर असाधारण परिस्थितियों में 8 मास के अधिकतम के अध्यक्षीन 2 वर्ष से अधिक विस्तारित किया जा सकता है :

परन्तु यह भी कि अस्थायी संयोजन केवल विद्युत बकायों को पूरा करने के बाद परिसर पर मुक्त किया जायेगा, यदि ऐसा बकाया न्यायालय द्वारा स्थगित नहीं किया जाता।

4.11 अस्थायी आपूर्ति के लिए तत्काल योजना

अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन 24 घण्टे की सूचना पर अस्थायी आपूर्ति प्रदान कर सकेगा :

(i) यदि यह तकनीकी रूप से साध्य है,

(ii) अतिरिक्त फीस के भुगतान पर, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित है और आयोग द्वारा अनुमोदित है।

4.12 सम्बन्धित/अनुबन्धित भार के अवधारण की सामान्य शर्तें

सम्बन्धित भार के अवधारण का प्रचलित ढंग संलग्नक 4.6 में दिया गया है।

4.13 अनुबन्धित भार

(क) एम० डी० आई० के बिना एल० टी० उपभोक्ता

अनुबन्धित भार संयोजित भार के समान होगा सिवाए इसके कि घरेलू और गैर घरेलू संवर्गों में, अनुज्ञप्तिधारी संयोजित भार की अपेक्षा कम अनुबन्धित भार को इस शर्त के अध्यक्षीन स्वीकृत करेगा कि घरेलू संवर्ग में यह संयोजित भार के 50% से कम और गैर घरेलू संवर्ग में संयोजित भार के 75% से कम नहीं होगा, जैसा कि आवेदक द्वारा वांछित है।

(ख) एम० डी० आई० और सभी एच० टी० और ई० एच० टी० भार के उपभोक्ता

अनुबन्धित भार ऐसा होगा, जैसा कि उपभोक्ता/आवेदक संस्थापन की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता/आवेदक तथा अनुज्ञप्तिधारी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो।

(ग) अधिष्ठापन तथा आग भट्टियों को आपूर्ति केवल यह सुनिश्चित कराये जाने के बाद उपलब्ध करायी जायेगी कि स्वीकृत भार भट्टी के टनाभार की भार अपेक्षा के अनुरूप है। एक टन भट्टी का न्यूनतम भार किसी मामले में 600 के० वी० ए० से कम नहीं होगा और सभी भार का निर्धारण इस आधार पर किया जायेगा। कोई आपूर्ति इस मानक के नीचे भार पर नहीं की जायेगी।

4.14 करार

(क) विहित मूल्य के स्टाम्प कागज पर करार का निष्पादन द्वारा 25 के० डब्ल्यू० से कम के अनुबन्धित भार के अतिरिक्त सभी अन्य मामलों में नया संयोजन प्राप्त करने के लिए और भार की वृद्धि के लिए आवेदक द्वारा किया जायेगा।

(ख) 25 के० डब्ल्यू० से कम अनुबन्धित भार के लिए (सिवाए पी० टी० डब्ल्यू० और औद्योगिक उपभोक्ताओं के) आवेदन प्ररूप स्वयं करार के प्रयोजन को पूरा करेगा।

(ग) संयोजन को संलग्नक 4.12 के अनुसार प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित के प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर विद्युत प्रदान किया जायेगा।

(घ) करार संयोजन की मुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए होगी और बाद में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद दोनों पक्षकारों द्वारा उसे समाप्त किये जाने तक वैध बनी रहेगी।

(ङ) इस संहिता के संलग्नक 4.12 के अनुसार मानक करार प्ररूप को आयोग के अनुमोदन के साथ संशोधित किया जा सकता है। लागू संवर्गों के लिए सभी करार प्ररूप की कठोर/कोमल प्रतिलिपियां अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वेबसाइट पर भी रखी जायेगी।

(च) स्थायी वियोजन के बाद, करार को समाप्त होना माना जायेगा।

(छ) उपभोक्ता विहित प्ररूप में (संलग्नक 4.7) नोटिस देने के बाद करार को समाप्त कर सकेगा। नोटिस अवधि सभी उपभोक्ता के लिए 30 दिन होगी। उक्त नोटिस की तामीली पर, अनुज्ञप्तिधारी रीडिंग लेने की व्यवस्था करेगा, आपूर्ति को वियोजित करेगा, मीटर केबल इत्यादि को हटायेगा, उक्त आवेदन की तारीख से 30 दिनों में वियोजन की तारीख तक सभी बकायों को शामिल करके अन्तिम बिल देगा। भुगतान पर, अनुज्ञप्तिधारी उस पर स्टाम्पित अन्तिम बिल के साथ रसीद जारी करेगा, जिसे अदेय प्रमाण-पत्र के रूप में माना जायेगा।

(ज) लेकिन, यदि करार को दो वर्ष के पूरा होने के पूर्व समाप्त किया जाना है, तो :

- (i) उपभोक्ता 6 मास की अवधि या उस अवधि के लिए, जिस तक करार की कुल अवधि दो वर्ष तक कम होती है, न्यूनतम प्रभार (या मांग/नियत प्रभार), यदि कोई न्यूनतम प्रभार उस संवर्ग के लिए विहित नहीं है, भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो भी कम हो।
- (ii) एच० टी०/ई० एच० टी०/व्यक्तिगत नलकूप (पी० टी० डब्ल्यू०) उपभोक्ता उपकरण और लाइन को हटाने के लिए प्राक्कलित व्यय का वहन करेंगे।

(झ) सेवा लाइन करार के समापन पर विखण्डित की जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी शेष बकाये की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगा।

(ञ) जब कभी, करार समाप्त किया जाता है, अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक 4. 8 में प्ररूप के अनुसार उपभोक्ता को लिखित सूचना देगा।

4.15 आपूर्ति का बिन्दु

(क) आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी के बाह्य टर्मिनल पर परिसर में एकल बिन्दु पर की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी ऐसी आपूर्ति के बिन्दु को अवधारित करेगा कि मीटर और अन्य उपकरण सदैव निरीक्षण के लिए अवरोध के बिना अनुज्ञप्तिधारी के लिए पहुँच योग्य है।

(ख) सभी ई० एच० टी० और एच० टी० उपभोक्ता/आवेदक मीटर या मीटर कक्ष में स्वतन्त्र प्रवेश प्रदान करेंगे।

(ग) लेकिन, विशेष मामलों में, अनुज्ञप्तिधारी संस्थापन के भौतिक नक्शा और उपभोक्ता/आवेदक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता/आवेदक के संस्थापन में एक बिन्दु से अधिक पर आपूर्ति प्रदान करने के लिए सहमत हो सकता है। प्रबन्धन इस शर्त के अधीन होगा कि पृथक् माप किया जायेगा और सभी बिन्दुओं पर अभिलिखित मांग और ऊर्जा का संक्षिप्त विवरण सुसंगत टैरिफ अनुसूची के अधीन बिल निर्मित करने के लिए माप के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

4.16 आपूर्ति के बिन्दु पर उपकरण का संस्थापन

(क) आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर उपभोक्ता/आवेदक मीटर के बाह्य टर्मिनल के मुख्य स्वच/परिपथ अवरोधक प्रदान करेगा।

(ख) इसके अतिरिक्त एच० टी०/ई० एच० टी० उपभोक्ता/आवेदक भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 56 और 64 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त संरक्षणात्मक उपकरण प्रदान करेंगे और इसके पश्चात् विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विरचित विनियम के अनुसार प्रदान करेंगे। संरक्षण प्रणाली को आपूर्ति के प्रारम्भ के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(ग) एच० टी०/ई० एच० टी० उपभोक्ता/आवेदक के मामले में, मीटर, परिपथ अवरोधक और उससे संलग्न उपकरण आपूर्ति के बिन्दु(ओं) पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संस्थापित किए जाएंगे।

(घ) एच० टी०/ई० एच० टी० उपभोक्ता/आवेदक बाहर लाए गए और ठोस रूप से भू-सम्पर्क कराए गए न्यूट्रल टर्मिनल के साथ उच्च वोल्टता पार्श्व पर डेल्टा बाइन्डिंग और निम्न वोल्टता पार्श्व पर स्टार-वाइन्डिंग के साथ वेक्टर समूह के साथ स्टेट डाउन ट्रान्सफार्मर संस्थापित करेगा।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी पी० एल० सी० सी० के माध्यम से रेलमार्ग पर आपूर्ति करने वाले ग्रिड उपकेन्द्र से संसूचना सम्पर्क सुविधा को संस्थापित करेगा और बनाये रखेगा।

4.17 उपभोक्ता के परिसर पर उपकरण को नुकसानी

(क) मीटर, मीटर-वोल्ट, सर्विस मेन्स, एम० सी० बी०/सी० बी०, भार परिसीमक को किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारण से हस्तचालित नहीं करना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, जो अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि नहीं है। सील, जो मीटर/माप उपकरण, भार परिसीमक और अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों पर लगाये जाते हैं, किसी कारण से दूषित क्षतिग्रस्त नहीं किये जाने चाहिए और तोड़े नहीं जाने चाहिए। उपभोक्ता के परिसर के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों की सुरक्षित अभिरक्षा और मीटर/मापन उपकरण पर सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व उपभोक्ता पर होगा।

(ख) उपभोक्ता या उसके कर्मचारियों को किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों को कारित किसी नुकसानी की स्थिति में उसका खर्च, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है, उपभोक्ता द्वारा संदेय होगा। यदि उपभोक्ता मांग के बाद ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसे आपूर्ति करार के निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जायेगा और आपूर्ति वियोजित किये जाने के लिए दायी है।

4.18 भावी उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची

(क) अनुज्ञप्तिधारी रजिस्ट्रीकरण के आधार पर मुख्य निर्देश संख्या आबंटित करेगा। आवेदकों को पहले आने और पहले पाने के आधार पर संयोजन प्रदान किया जायेगा।

(ख) भावी उपभोक्ताओं के प्रतीक्षा सूची पर क्षेत्रवार सूचना, उनकी वर्तमान प्रास्थिति, निर्देश संख्या, जिस पर संयोजन प्रदान किया जाना है, केन्द्रीयकृत पुकार कक्ष में रखी जा सकेगी और सूचना पट्टी पर प्रदर्शित भी की जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में प्रमुख स्थान पर रखे गये शहाम पट्ट पर नियमित रूप से अद्यतन की जायेगी।

4.19 प्रकीर्ण प्रभाव उद्गृहीत किया जाये

अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन से और नये संयोजन, नये संयोजन के लिए प्राक्कलन और भार के वर्धन के लिए रजिस्ट्रीकरण तथा प्रशंसकरण फीस के मद पर खण्ड 4.6 के अनुसार व्यय आंकड़ा पुस्तिका में प्रभार की अनुसूची विहित करेगा। इसमें पुनः संयोजन और वियोजन के प्रभार और प्रकीर्ण सेवा के लिए कोई अन्य प्रभार भी शामिल होगा।

4.20 प्रतिभूति निक्षेप

(क) दो मास के लिए प्राक्कलित ऊर्जा उपभोग को आच्छादित करने के लिए प्रतिभूति निक्षेप सभी उपभोक्ता/आवेदक द्वारा किया जायेगा।

(ख) नये उपभोक्ताओं के भिन्न संवर्गों के लिए प्राक्कलित उपभोग और प्रतिभूति निक्षेप धनराशि का अवधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के अनुमोदन से किया जायेगा।

(ग) भार की वृद्धि के मामले में केवल विद्यमान भार को कम करके वृद्धि के बाद अतिरिक्त भार को आच्छादित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति को निक्षेप किये जाने की आवश्यकता होगी।

(घ) निकाल दिया गया।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप को जमा करने के लिए किसी उपभोक्ता को नोटिस दे सकेगा, यदि :

- (i) प्रतिभूति निक्षेप पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए उसके औसत मासिक उपभोग पर आधारित दो मास के प्राक्कलित ऊर्जा उपभोग बिल को आच्छादित करने के लिए कम होता है,
- (ii) नये संयोजन के मामले में अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग एक वित्तीय वर्ष के केवल पूरा होने के बाद की जायेगी,
- (iii) केवल तब, जब उपभोक्ता द्वारा संदेय अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप विद्यमान प्रतिभूति निक्षेप के 10% से अधिक है, अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप के लिए मांग की जायेगी,
- (iv) प्रतिभूति निक्षेप को बकाये के समायोजन के कारण कम किया जाता है,
- (v) प्रतिभूति निक्षेप किसी अन्य कारण से अविधिमान्य या अपर्याप्त हो गया है।

(च) उपभोक्ता नोटिस की तामीली के बाद 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त प्रतिभूति को निक्षेप करेगा। यदि व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उस अवधि के लिए विद्युत की आपूर्ति को स्थगित कर सकेगा, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है। लेकिन, अधिकतम 3 किस्त की अनुमति दी जा सकेगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रज्ञापूर्ण समझा जाय।

(छ) यदि विद्यमान प्रतिभूति निक्षेप अपेक्षित, प्रतिभूति निक्षेप के 20% से अधिक के आधिक्य में होना पाया जाता है, तो आधिक्य धनराशि की वापसी उपभोक्ता को 3 बिल देने के चक्र के अन्तर्गत आगामी बिल में समायोजन द्वारा की जा सकेगी।

(ज) प्रतिभूति निक्षेप उपभोक्ता को स्थायी वियोजन के करार और अन्तिम करने के समापन पर और 30 दिनों के भीतर सभी बकायों के समायोजन के बाद वापस किया जायेगा। लेकिन, यदि भुगतान में विलम्ब 90 दिनों से अधिक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर पर ब्याज उपभोक्ता को संदेय होगा। इस सम्बन्ध में समय-समय से बैंक दर पर निगरानी रखना अनुज्ञप्तिधारी का उत्तरदायित्व होगा।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी लागू बिल चक्र के अनुसार अप्रैल या मई या जून मास में उपभोक्ता के बिल में जमा द्वारा बैंक दर पर, जैसा कि 1 अप्रैल को है, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान करेगा। लेकिन, कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, यदि निक्षेप नकदी, चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा नहीं किया जाता। ब्याज दर समय-समय से आयोग के टैरिफ आदेस के अनुसार परिवर्तन के अध्वधीन है।

(ञ) प्रतिभूति निक्षेप की धनराशि “फेज्ड कन्ट्रैक्ट दिनांक” के मामले में भार की मुक्ति के लिए करारित फेज के अनुसार अंशतः स्वीकार किया जायेगा। पश्चात्पूर्वी अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि अतिरिक्त भार की मुक्ति के 30 दिनों पूर्व निक्षेप किया जायेगा।

(ट) अनुज्ञप्तिधारी नये संयोजन को ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा, जब तक अपेक्षित प्रतिभूति धनराशि आवेदक/उपभोक्ता द्वारा निक्षेप नहीं किया गया है।

(ठ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस धारा के अनुसरण में प्रतिभूति की अपेक्षा करने के लिए हकदार नहीं होगा। यदि आपूर्ति की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति पूर्व भुगतान मीटर के माध्यम से आपूर्ति ग्रहण करने के लिए तैयार है, जैसे और जब वितरण अनुज्ञप्तिधारी पूर्व भुगतान मीटर के माध्यम से आपूर्ति के लिए विकल्प देने के लिए उपभोक्ता को चुनाव प्रदान करता है।

4.21 नये संयोजन/कटौती/भार की वृद्धि प्रदान करने का खर्च

(क) उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को नये संयोजन/भार में अभिवृद्धि प्रदान करने के खर्च के रूप में सेवा लाइन इत्यादि और प्रणाली भार प्रभार के खर्च का भुगतान करेगा। ये भार या तो आयोग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खर्च आंकड़ा पुस्तिका में विनिर्दिष्ट मानक प्रभार की अनुसूची के आधार पर या उसके अभाव में कार्य के वास्तविक खर्च के आधार होंगे, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन (खण्ड 4.6) में दिये गये हैं। भार की कमी करने के लिए, प्रणाली को भारित करने

वाले प्रभार वापस नहीं किए जाएंगे किन्तु यदि भार में पुनः उसी उपभोक्ता द्वारा वृद्धि की जाती है, तो पहले से निक्षिप्त प्रणाली को भारित करने वाले प्रभार से अधिक केवल वर्धित प्रणाली को भारित करने वाले प्रभार प्रभारित किये जाएंगे।

(ख) एक फेज से 3 फेज एल० टी० तक सम्परिवर्तन के लिए और इसके प्रतिकूल तथा एल० टी० से एच० टी० में सम्परिवर्तन और इसके प्रतिकूल के लिए नये संयोजन के लिए अधिकथित प्रक्रिया और खण्ड 3.3 का अनुसरण किया जायेगा।

4.22 भुगतान का ढंग

(क) सभी भुगतान नकदी द्वारा (20,000 रु० तक) बैंकर्स चेक, चेक या डिमाण्ड द्वारा किये जाएंगे। चेक और डिमाण्ड ड्राफ्ट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की किसी शाखा पर अनुदेय होंगे, जो उस क्षेत्र के लिए समाशोधन गृह का सदस्य है, जहां सम्बद्ध खण्ड कार्यालय स्थित है। बाह्य स्थल का कोई चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ख) चेक द्वारा भुगतान की तारीख से ऐसी तारीख होना माना जायेगा, जिसको चेक अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में प्राप्त किया जाता है। यदि चेक का भुगतान नहीं किया जाता या अनादरित हो जाता है, तो आवेदक धनराशि का निक्षेप नकदी में या अभुगतान फीस के साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करेगा, जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विहित किया जाय, जिसमें खण्ड 4.36 (ज) के अनुसार अस्थायी वियोजन शामिल है और किसी परिस्थिति के अधीन चेक द्वारा भविष्य में भुगतान करने के लिए उपभोक्ता के अधिकार को वापस नहीं लिया जायेगा।

(ग) लेकिन, 10 एन० डब्ल्यू० से अधिक अनुबन्धित भार के नये संयोजन के लिए, उपभोक्ता को जिले में स्थित अनुसूचित बैंक की शाखा पर आहरित 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए विधिमान्य बैंक गारण्टी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के लिए भुगतान करने का विकल्प हो सकता है। उपभोक्ता का प्रत्याभूति से अवसान की तारीख के कम से कम 3 मास पूर्व 5 वर्ष की और अवधि के लिए प्रत्याभूति को नवीकृत कराना उत्तरदायित्व होगा।

4.23 उपभोक्ता के परिसर पर तार लगाना

(क) उपभोक्ता के परिसर में तार लगाने का कार्य अनुज्ञप्त विद्युत टेकेदार द्वारा किया जायेगा और भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के अध्याय 7 में विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप होगा, जब तक विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन निर्मित नहीं किये जाते।

(ख) तार लगाने के लिए प्रयुक्त सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित मानव के अनुरूप होगा और उच्चतर होगा।

(ग) सभी ऊँचे भवन, जिनकी भूतल से 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई है, भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 50 का भी अनुपालन करेंगे, जब तक विनियम विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 53 के अधीन निर्मित नहीं किये जाते। तार लगाने का परीक्षण भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 47 से 49 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, जब तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विनियम निर्मित नहीं की जाती।

4.24 ए०सी० मोटरों का संस्थापन

कोई ए० सी० मोटर अनुज्ञप्तिधारी को निम्न या मध्य वोल्टता प्रणाली में संयोजित नहीं किया जायेगा जब तक मोटर और उसके संस्थापन का नीचे निर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार प्रारम्भिक करेन्ट को सीमित करने के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है :

(क) विद्युत आपूर्ति किसी आवेदक को 3 एच० टी० क्षमता या अधिक के उपयोग करने वाले प्रवेशन मोटर या 1 के० वी० ए० क्षमता या अधिक के वेल्डन ट्रान्सफार्मर के लिए निम्न या मध्य वोल्टता पर किसी आवेदक को नहीं दी जायेगी, जब तक समुचित दर के पार्श्व पथ सन्धारित्र ऐसे मोटर और वेल्डन ट्रान्सफार्मर के टर्मिनल के आर-पार औसत मासिक ऊर्जा घटक को प्राप्त करने के लिए संस्थापित नहीं किया जाता, जो इस संहिता में निर्दिष्ट है,

(ख) निम्न या मध्य वोल्टता का मोटर सभी सम्भव स्थितियों के अधीन निम्नलिखित अनुसूची में दी गयी सीमा से अधिक उपभोक्ता के संस्थापन से अधिकतम वर्तमान मांग को समाधानप्रद ढंग से निवारित करने के लिए नियंत्रण गेयर के साथ प्रदान किया जायेगा :

आपूर्ति की प्रकृति	संस्थापन का आकार	अधिकतम करेन्ट मांग
एकल फेज/तीन फेज	(क) एक बी० एच० पी० पर और को शामिल करके	(क) छः गुना पूर्ण भार करेन्ट
	(ख) एक बी० एच० पी० से अधिक और 10 बी० एच० पी० तक और को शामिल करके	(ख) तीन गुना पूर्ण भार करेन्ट
	(ग) 10 बी० एच० पी० से अधिक और 15 बी० एच० पी० तक और को शामिल करके	(ग) दो गुना पूर्ण भार करेण्ट

(घ) 15 बी० एच० पी० से अधिक	(घ) डेढ़ गुना पूर्ण भार करेण्ट
----------------------------	--------------------------------

इन अपेक्षाओं का अनुपालन करने की असफलता उपभोक्ता को वियोजित किये जाने के लिए दायी बनायेगा। अनुज्ञप्तिधारी कार्य की अवस्थिति और स्थिति के आधार पर प्रारम्भिक करेण्ट सीमा तक मुक्त करेगा।

(ग) गैर वोल्ट मुक्ति द्वारा संरक्षित तीसरे पोल से सम्बन्धित स्विच मोटर परिपथ और तेहरे खम्भा फ्यूज (या अधिभार मुक्ति) को नियंत्रित करेगा। यह महत्वपूर्ण है कि मुक्ति उचित कार्य आदेश में रखा जायेगा। मोटर के लिए तार लगाना धातु के वाहक नली में सभी तीन फेज तार गुच्छों के साथ होगा, जिसे प्रभावी ढंग से पूर्ण रूप से भूमि से संलग्न किया जायेगा और मोटर की संरचना से सम्बन्धित किया जायेगा, जिससे दो पृथक् भूमि तार संचालित होंगे। अनुमति भूमि तार का न्यूनतम अनुमति योग्य आकार संख्या 14 एस० डब्ल्यू० डी० होगा। जब तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विनियम को निर्मित नहीं किया जाता, तब तक भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 का प्रत्येक सम्बन्ध में अनुपालन किया जायेगा;

(घ) कुल गुणित बल वोल्टता विकृत नीचे वर्णित सीमा से अधिक नहीं होगा :

$$\text{ई० एच० टी०} = 4\%$$

$$\text{एच० टी०} = 5\%$$

$$\text{एल० टी०} = 10\% ;$$

अनुज्ञप्तिधारी सभी एच० टी० उपभोक्ताओं और एल० टी० वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (15 के० डब्ल्यू० से अधिक) के लिए इस संहिता की क्रियान्वयन की तारीख को एक वर्ष से अधिक का समय उन्हें देते हुए प्रारम्भ से गुणित फिल्टर के संस्थापन के लिए प्रचार करेगा, जिसके पश्चात् वह ऐसे उपभोक्ताओं पर आदेशात्मक होगा।

(ड) इसके अतिरिक्त तुल्य कालिक मोटर वाट हीन करेण्ट को नियंत्रित करने के लिए उपकरण के साथ प्रदान किए जाएंगे।

4.25 सिंचाई/कृषि पम्पसेट का संस्थापन

सभी पम्पिंग संयोजन/पुनः संयोजन न्यूनतम क्षति को सुनिश्चित करेंगे और उसे प्राप्त करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अपेक्षा के अनुरूप होंगे और अवर नहीं होंगे तथा निम्नलिखित भी होगा-

(क) घर्षणहीन पाद वाल्व;

(ख) एच० डी० पी० ई० पाइपिंग सक्शन और परिदान;

(ग) आई० एस० आई० चिन्हित ऊर्जा दक्ष मोनोब्लाक पम्पसेट;

(घ) पम्पसेट के लिए समुचित दर का सन्धारित्र।

अनुज्ञप्तिधारी समुचित/सम्बद्ध प्राधिकारी/अधिकरण के क्षेत्रों में जल स्तर का आंकड़ा एकत्रित करेगा और यदि यह भार की वृद्धि की अपेक्षा करता है, तो उपभोक्ता से भार में वृद्धि करने की अपेक्षा की जायेगी।